

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *147
गुरुवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)

बढ़ती बेरोजगारी को कम करना

*147. श्री रामजी लाल सुमन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि 18 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर 12 प्रतिशत से भी अधिक है और उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में यह दर और भी अधिक है;
- (ख) क्या रोजगार सृजन की प्रगति धीमी है जिससे बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है;
- (ग) क्या बेरोजगारी में महिलाओं की संख्या अधिक है तथा पुरुष और महिला बेरोजगारी दर का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार बढ़ती बेरोजगारी को प्रमुख समस्या मानकर इसके समाधान के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री
(डॉ मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

“बढ़ती बेरोजगारी को कम करना” के संबंध में सांसद श्री रामजी लाल सुमन द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *147 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा करवाया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गई है।

इसके अतिरिक्त, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य रोजगार स्थिति को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 31.4% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 और वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तरों के 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

बेरोजगारी दर (% में)		
सामान्य शैक्षिक स्तर	2017-18	2023-24
साक्षर और प्राथमिक शिक्षा तक	8.3	2.6
पूर्व-माध्यमिक	13.7	4.2
माध्यमिक	14.4	4.9
उच्चतर माध्यमिक	21.1	8.8
माध्यमिक और उससे अधिक	25.4	15.4

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तरों के लिए बेरोजगारी दर में भी पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, इसी अवधि के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 6.0% से घटकर 2023-24 में 3.2% और इसी अवधि के दौरान पुरुषों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 6.1% से घटकर 3.2% और महिलाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 5.6% से घटकर 3.2% हो गई है। पीएलएफएस रिपोर्टों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी

और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट
<https://www.mospi.gov.in/publications-reports> पर देखा जा सकता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुनः कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल भारत मिशन (एसआईएम) का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आईटी क्षेत्र से जुड़े कार्मिकों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगारपरकता के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यान्वित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
